झारखण्ड सरकार

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

पत्रांक :– रा0खा0आ0 (विविध)–22 / 2022-1012

प्रेषक,

संजय कुमार
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

सचिव
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक:– 11.12.2023

विषयः– **आयोग के खूँटी एवं राँची जिलों के भ्रमण के दौरान प्राप्त शिकायतों / सुझावों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशानुसार कहना है कि आयोग के माननीय अध्यक्ष एवं सदस्या द्वारा दिनांक–04.10.2023 से दिनांक–05.10.2023 तक खूँटी एवं राँची जिलों का भ्रमण किया गया। इस दौरान उनके द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत् संचालित योजनाओं का निरीक्षण, सुनवाई / जनसुनवाई एवं इन जिलों के विभिन्न पंचायतों के मुखियागण के साथ संवाद किया गया। इस दौरान राँची जिला में समीक्षात्मक बैठक के क्रम में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कुपोषित बच्चों को आंगनबाड़ी सेविकाओं के माध्यम से कुपोषण उपचार केन्द्र भेजा जाता है। किन्तु सेविका को किसी प्रकार का इन्सेन्टिव नहीं मिलता है जबकि सहिया को इन्सेन्टिव दिया जाता है। इससे सेविकाओं का मनोबल कम होता है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने हेतु कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0– खूँटी एवं राँची जिला भ्रमण प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

11/12/23

(संजय कुमार)
सदस्य सचिव,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\Vinod Sir.docx605